नियम 93 : अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय

(1) जहां नियम 90 की उप–नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप–नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा।

(2) जहां किसी प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, **प्ररूप जीएसटी पीएमटी–03** में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण–इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज या समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।